

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 24 जनवरी 2023—माघ 4, शक 1944

धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2023

क्र. एफ-3-37-2019-68-विभागीय आदेश 7-2-2012-छः—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 26 जून 2012 को प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7-2-2012-छः, दिनांक 25 जून 2012 द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना नियम, 2012 में एतद्वारा निमानुसार संशोधन किया जाता है:—

1. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना नियम, 2012 के परिशिष्ट (एक) में वर्णित में एकल-तीर्थ स्थानों की सूची में निमानुसार तीर्थ स्थान का नाम जोड़ा जाता है:—
(अ) प्रयागराज (उ. प्र.)
2. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना नियम, 2012 के परिशिष्ट (दो) में वर्णित में युग्म-तीर्थ स्थानों की सूची में निमानुसार तीर्थ स्थानों का नाम जोड़ा जाता है:—
(अ) मथुरा-वृन्दावन (उ. प्र.)

शेष शर्तें पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-7-2-2012-छः, दिनांक 26 जून 2012 के अनुसार रहेंगी। यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से लागू माना जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुष्पा कुलेश, उपसचिव।